न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 174/2013

अनवान :

1. अमीचंद पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. गोरांदेवी पत्नी ईश्वर दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 14 रामदेवजी मन्दिर के पास भादरा तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ईश्वर दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 14 रामदेवजी मन्दिर के पास, भादरा तहसील भादरा।
3. गायत्री पुत्री ईश्वर दयाल पत्नी ओमप्रकाश तिवाड़ी सेवानिवृत लिपिक, विधुत निगम विभाग श्रीमोधापुर जिला सीकर।
4. सुजाता पुत्री ईश्वर दयाल पत्नी अशोक कुमार तिवाड़ी अध्यापक पुत्र किशोरीलाल तिवाड़ी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. सरोज पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान नं. बी 156ए नोएडा उतर प्रदेश।
6. रोहित पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान नं. बी 156ए नोएडा उतर प्रदेश।
7. रचना पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान नु. बी 156ए नोएडा उतर प्रदेश।
8. सुन्दरी देवी पत्नी बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 4 हाथीपुराबास भादरा।
9. मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 4 हाथीपुराबास भादरा।
10. कर्णकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 4 हाथीपुराबास भादरा।
11. पूजा पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 4 हाथीपुराबास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,92,92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण गर्ग : **वादी**
वकील श्री किशनलाल यादव: **प्रतिवादी सं. 1 ता 11**

निर्णय **दिनांक :** 7.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि श्री ईश्वर दयाल पुत्र श्री गणेशीराम ब्राहम्ण निवासी भादरा जो प्रतिवादीगण के पूर्वज है, की कृषि भूमि चक 6 बीएचडी के मु. न. 2 व मु.न. 7 में उसके नाम पर दर्ज होती थी जो वादी ने दिनांक 3.2.1967 को श्री ईश्वर दयाल से मु.न. 2 के किला नं. 23–24 की 2 बिघा तथा मु.न. 7 के किला नं. 3–4 की 2 बिघा, 7–8 की 2 बिघा, 14–15 की 2 बिघा इस प्रकार कुल 8 बिघा कमाण्ड बएवज कीमतन खरीद करके बैयनामा सब रजिस्ट्रार कार्यालय भादरा में अपने नाम से तस्दीक करवा लिया वा मौका पर नाप–जोख करके कब्जा प्राप्त कर लिया तबसे वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। चित्रप्रति बैयनामा शामिल दावा है। असल शहादत न्यायालय की आज्ञा से प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यही बिनाय दावा है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी द्वारा खरीद शुदा भूमि में से मु.न. 2 के किला नं. 23, 24 मु.न. 7 के किला नं. 3, 4, 8, 15 की 6 बिघा भूमि बाद में गैरखातेदारी विक्रेता के नाम हो गई थी जिसका वादी को पहले कोई इल्म नही था अब कागजात देखने पर पता चला तो वादी ने इस बाबत श्रीमान एडीएम साहब नोहर के यहां एम्पाउंड बैयनामा हेतु कार्यवाही चलाई हुई है। उक्त कार्यवाही के रहते वादी उक्त भूमि के बाबत अपना वाद अधिकार सुरक्षित रखते हुये मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 जो कि विक्रेता के नाम खातेदारी बने हुये है, को लेकर दावा दायर कर रहा है। प्रमाणित चित्रप्रति जमाबंदी चक 6 बीएचडी सम्वत 2039 से 42 शामिल दावा है जिससे यह रोशन है।

विक्रेता श्री ईश्वर दयाल की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम मौजुदा जमाबंदी में मुताबिक सजरा शामिल है जिनसे मृतक की विधवा गोरांदेवी प्रतिवादी सं. 1 बेटा राजेन्द्र प्रतिवादी सं. 2 पुत्रिया गायत्री व सुजाता प्रतिवादी सं. 3 व 4 तथा मृत बेटे भंवरलाल की पत्नी व पुत्र–पुत्री प्रतिवादी सं. 5 से 7 व मृत बेटे भंवरलाल की पत्नी व पुत्र–पुत्री प्रतिवादी सं. 8 से 11 है जिन्हे दावा में प्रतिवादी दर्ज किया गया है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 6 बीएचडी सम्वत 2068 से 71 खतौनी नं. 33/26 शामिल दावा है जिससे यह रोशन है।

बैयनामा हाजा में दर्ज 6 बिघा रकबा विक्रेता के नाम गैरखातेदारी हो गया था जिसको उसने दुरूस्त नही करवाया इस कारण से वादी का कुल रकबा का इन्तकाल वादी के नाम नही हो पाया जबकि मौजुदा दावा में वर्णित मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 खातेदारी दर्ज थे और अब भी खातेदारी दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण आगे से आगे अपने नाम विरासती इन्तकाल दर्ज करवाते रहे है जबकि कब्जा वादी का नियमित रूप से सन 1967 से खरीद की दिनांक से लगातार खुल्लम–खुल्ला बना हुआ है।

वादी यह घोषणा करवाने का मजाज है कि चक 6 बीएचडी के मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 की 2 बिघा का खातेदार काश्तकार वादी है और जमाबंदी माल में प्रतिवादीगण के नाम से किये गये सभी इन्द्राजात वादी के हकों के मुकाबले शुन्य नाकाबिले पाबन्दी वादी एवं एब इनिशियों नल एण्ड वॉयड है।

वादभूमि प्रतिवादीगण के नाम अनाधिकार दर्ज है और प्रतिवादीगण कभी भी वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर सकते है। काफी लोग इन दिनों खेत की सींव पर प्रतिवादीगण के साथ आये जिन्होने बताया कि वे खेत देख रहे है जबकि उनका वहां कोई वास्ता नही हो सकता था इसलिये वादी को पुरा अंदेशा है कि प्रतिवादीगण उक्त खातेदारी को रहन,बैय या मुन्तकिल करके भूमाफिया लोगों को दावाधीन खातेदारी में घुसा सकते है यदि प्रतिवादीगण ऐसा कर देते है तो वादी को अपूर्णिय क्षति हो जावेगी। इसलिऐ वादी बखिलाफ प्रतिवादी इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के मजाज कानूनी है कि प्रतिवादीगण उक्त खाता में वर्णित वाद भूमि या उसके किसी भाग को किसी अन्य को रहन,बैय या मुन्तकिल ना करे और वादी के कब्जा काश्त व उपयोग में कोई रूकावट व व्यवधान ना डाले।

वादी ने सभी कागजात की नकले लेकर प्रतिवादीगण को उक्त बैयनामा की प्रति दिखाई और कहा कि वे साथ चलकर वादभूमि का अपने नाम दर्ज इन्द्राजात को अवैध करार करवा ले तथा वादी का नाम दर्ज करवा दे और मुन्तकिली वा मदालखत का इरादा त्याग दे वो वे इन्कार हो गये। यही बिनाय मुखास्मत है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने अपना जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर कथन किया कि ''वादी ने दिनांक 03.02.1967 को ईश्वर दयाल द्वारा चक 6 बीएचडी के मु.न. 2 के किला नं. 23, 24 मु.न. 7 के किला नं. 3, 4, 7, 8, 14, 15 की कुल 8 किला भूमि की बाबत अपने पक्ष में बैयनामा करवाने का कथन किया है। चूंकि वादभूमि प्रतिवादीगण की खातेदरी एवं गैरखातेदारी कृषि भूमि है। कानूनन गैरखातेदारी भूमि का विक्रय करके हस्तान्तरण नही किया जा सकता है वाद भूमि के किला नं. 7 ता 14 प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है जो सदामत से अन्य भूमि के साथ प्रतिवादीगण के

उपखण्डाधिकारी (राज.)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नाम खातेदारी चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण के निरन्तर कब्जा काश्त में है। इस प्रकार इस भूमि की बाबत बिना प्रतिफल के छल कपट एवं कूटरचित तरीके से अगर वादी ने काई बैयनामा करवा रखा है तो वह प्रतिवादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य एवं प्रभावहीन है। इसलिये प्रतिवादीगण उक्त बैयनामा को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के बाद वादी ने जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि " विक्रेता ईश्वर दयाल द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 03.02.1967 को बैयनामा तस्दीक रजिस्ट्री करवाया उक्त समय बैयनामा में दर्ज कुल भूमि खातेदारी थी द्वितीय वादी का मौजुदा दावा केवल मात्र मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 की 2 बीघा की बाबत है जो बैयनामा के दिन से आज तक बदस्तुर खातेदारी चली आ रही है। इसलिये बैयनामा में वर्णित मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 की 2 बिघा की बाबत प्रतिवादी बैयनामा को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाने का मजाज नही है।

वादीगण के दावा एवं जवाबदावा काउन्टर क्लेम व प्रतिवादीगण के जवाबदावा **मय काउन्टर क्लेम एवं अभिवचनो व दस्तावेजो के आधार पर** निम्न तनकीयात कायम की गईः—

1. आया कि वादी ने दिनांक 03.02.1967 को श्री ईश्वर दयाल जो प्रतिवादी के पूर्वज है, से चक 6 बीएचडी की मु.न. 2 के किला नं. 23—24 की 2 बीघा मु.न. 7 के किला नं. 3—4 की 2 बीघा,7—8 की 2 बीघा, 14—15 की 2 बीघा इस प्रकार कुल 8 बीघा कमाण्ड खरीदकर मौका पर कब्जा प्राप्त कर लिया व बैयनामा अपने पक्ष में तस्दीक रजिस्ट्री करवा लिया? **—वादी**

2. आया कि ईश्वर दयाल की मृत्यु के बाद वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि का इन्तकाल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ जो वादी के हकों के मुकाबले अवैध व शुन्य है? **—वादी**

3. आया कि मौजुदा दावा के जरिऐ वादी चक 6 बीएचडी के मु.न. 7 के किला नं. 7, 14 की दो बीघा बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने पक्ष में बैयनामा के आधार पर खातेदार होने की घोषणा करवाने का मजाज कानूनी है? **—वादी**

4. आया कि वादी को चक 6 बीएचडी के मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 की बाबत कोई वाद कारण हासिल नही है और उसके पक्ष में बैयनामा प्रभावहीन फर्जी व कुटरचित है? **— प्रतिवादीगण**

5. अनुतोष ?

तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्यवादी में पी.डब्ल्यू 1 वादी अमीचन्द पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 बीएचडी खाता संख्या 33/26 सम्वत् 2068—71 प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी चक 6 बीएचडी सम्वत् 2039—42 प्रदर्श 2, ईश्वर दयाल के द्वारा मेरे पक्ष में बैयनामा दिनांक 03.02.1967 प्रदर्श 3, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 3ए, प्रदर्शित करवाये। पी. डब्लयू 2 में विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू 1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ईश्वर दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 14 रामदेवजी मन्दिर के पास भादरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने न्यायिक दृष्टान्त 2014(2) CCC 15(Karnt.) KARNATAKA HIGH COURT Lakshmamma and Ors V/s H.B.Sannasiddappa R.F.A No. 2186 of 2010 Date on 26-06-2013 एवं वकील प्रतिवादीगण ने RRD 2005 Page No. 500 State Of Raj V/s Sardara & ors, And RRD 14-8-2008 Page No. 517 Desraj & Ors V/s Bishan Das & ors प्रस्तुत की गयी एवं अपने अपने अभिकथनों को दोहराया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो का बगौर अध्ययन किया। तनकी अनुसार निर्णय इस प्रकार हैः—

तनकी नं0 1 :— उक्त तनकी को साबित करने का भार सबूत वादी पर था। वादी ने दिनांक 03.02.1967 को चक 6 बीएचडी के मु.न. 2 के किला नं. 23, 24 की 2 बीघा एवं मु.न. 7 के किला नं. 3, 4, 7, 8, 14, 15 की 6 बीघा कुल 8 बीघा भूमि का बैयनामा श्री ईश्वर दयाल से अपने पक्ष में सब रजिस्ट्रार भादरा में अपने नाम से तस्दीक करवाया था। वादी ने असल बैयनामा प्रदर्श 3 एवं जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 3ए प्रस्तुत की है उक्त बैयनामा दिनांक 03.02.1967 के संबंध में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ईश्वर दयाल ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर खण्डन नही किया है एव ना ही किसी भी सक्षम न्यायालय में बैयनामा दिनांक 03.02.1967 को नल एण्ड वॉयड करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है, राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी साक्ष्य जिरह में कथन किया है कि बैयनामा की मुझे कोई जानकारी नही है ना ही विवादित बैयनामा को रद्ध कराने की कार्यवाही सिविल कोर्ट मे की है तथा मेरे पिता ने कोई बैयनामा करवाया है इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। पी.डब्ल्यू 2 विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सिकरोड़ी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वादी मेरा खेत पड़ोसी है तथा मेरे याद आने से उक्त खेत को काश्त कर रहा है। उक्त बैयनामा एक पंजीकृत दस्तावेज है, एवं 52 वर्ष पुराना दस्तावेज है जिसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उपधारणा की जा सकती है। वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त "2014(2) CCC 15(Karnt.) KARNATAKA HIGH COURT Lakshmamma and Ors V/s H.B.Sannasiddappa R.F.A No. 2186 of 2010 Date on 26-06-2013 में मत प्रतिपादित किया गया है।" जब बैयनामा के विरूद्ध कोई प्रतिकूल अवधारणा प्रतिवादीगण द्वारा साबित नही की गई है, न ही उसका कोई खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त बैयनामा सही होने बाबत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उपधारणा की जा सकती है व गवाह पी.डब्ल्यू 2 विनोद कुमार के मौखिक साक्ष्य से वादी का कब्जा भी साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 01 का निर्णय वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 2 :—तनकी संख्या 02 को साबित करने भार सबुत वादी पर तनकी संख्या 1 में वादी के पक्ष में साबित हो चुकी है। खातेदारी अधिकारों के अन्तरण बाबत विक्रय द्वारा अन्तरण का प्रावधान है। प्रतिवादीगण के पिता ईश्वर दयाल द्वारा दिनांक 03.02.1967 में पंजीकृत बैयनामा निष्पादित करके चक 6 बीएचडी के मु.न. 2 के किला नं. 23, 24 उव मु.न. 7 के किला नं. 3, 4, 7, 8, 14, 15 की कुल 8 बीघा भूमि का अन्तरण वादी को किया गया। इस पंजीकृत बैयनामा को निष्पादित करके व कब्जा का अन्तरण करके प्रतिवादीगण के पिता श्री ईश्वर दयाल ने चक 6 बीएचडी के मु.न. 2 के किला नं 23, 24 व मु.न. 7 के किला नं. 3, 4, 7, 8, 14, 15 कुल 8 बीघा भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों को शुन्य कर लिया है व वादभूमि संबंधी हक हकूक वादी अमीचंद के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये, जमाबंदी में काश्तकार के नाम इन्द्राजात में परिवर्तन इंतकाल द्वारा किया जाता है। इंतकाल एक फिस्कल प्रक्रिया है जिसके द्वारा खातेदारी अधिकारों का सृजन नही होता है, न ही इंतकाल प्रक्रिया द्वारा कोई हक अधिकार प्रदान किये जाते है, इसलिये उक्त पंजीकृत बैयनामा द्वारा इंतकाल न खुलने व उसकी बजाय ईश्वर दयाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के नाम विरासतन इंतकाल खुलने से प्रतिवादीगण को वादभूमि में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। जब ईश्वर दयाल ने वादभूमि का विक्रय करके वादभूमि मे अपने खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर लिया तो उनके वारिसान को उक्त अधिकार प्राप्त नही हो

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सकते है क्योंकि जब मूल खातेदार काश्तकार के पास ही खातेदारी अधिकार नही है तो उसके वारिसान के नाम इंतकाल द्वारा दर्ज इन्द्राजात शून्य व प्रभावहीन है। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 3 – तनकी संख्या 03 को साबित करने भार सबुत वादी पर है। वादी ने जिस दस्तोवज बैयनामा के आधार पर खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की घोषणा चाही है, वह एक पंजीकृत दस्तावेज है उक्त बैयनामा 52 वर्ष पुराना दस्तावेज है, जिसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उपधारणा की जा सकती है कि उक्त दस्तावेज को प्रतिवादीगण द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी जिरह में खुद कहा है कि विवाादित बैयनामा रद्ध करने की कार्यवाही सिविल कोर्ट मे नही है न ही मैने अमीचन्द पर फौजदारी दावा किया है। जब ईश्वर दयाल ने वादभूमि का विक्रय करके वादभूमि मे अपने खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर लिया तो उनके वारिसान को उक्त अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि जब मूल खातेदार काश्तकार के पास ही खातेदारी अधिकार नही है तो उसके वारिसान के नाम इंतकाल द्वारा दर्ज इन्द्राजात शून्य व प्रभावहीन है। वादी द्वारा चक 6 बीएचडी के मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 की 2 बीघा खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विक्रय द्वारा खातेदारी अधिकारों के अंतरण का प्रावधान है। जब पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादीगण के पिता ने अपने खातेदारी अधिकार वादी को अन्तरित कर दिये तो वादी उन अधिकारों की घोषणा करवा सकता है। तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में साबित हो चुकी है इसलिये वादी उक्त वादभूमि का बैयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार है एवं कब्जा भी साबित है। अतः इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 4 – तनकी संख्या 04 को साबित करने भार सबुत प्रतिवादीगण पर है। तनकी संख्या 1 से 3 वादी के पक्ष में साबित हो चुकी है तथा वादी के द्वारा ईश्वर दयाल से दिनांक 03.02.1967 के पंजीकृत बैयनामा के आधार पर उक्त वादभूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है तो प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्तकाल को अवैध व शुन्य करवाने का कानूनी मजाज है। प्रतिवादीगण के द्वारा बैयनामा दिनांक 03.02.1967 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई ना ही यह साबित करने में सफल रहा है कि उक्त पंजीकृत बैयनामा प्रभावहीन फर्जी व कुटरचित है। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश न्यायिक दृटान्त ****RRD 2005 Page No. 500 State Of Raj V/s Sardara & ors, And RRD 14-8-2008 Page No. 517 Desraj & Ors V/s Bishan Das & ors**** गैर खातेदारी भूमि के अन्तरण से संबंधित है जबकि हस्तगत प्रकरण में वाद भूमि मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 दो किला विक्रेता की खातेदारी भूमि थी। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नही होते है। वादभूमि जमाबंदी सम्वत 2039–2042 चक 6 बीएचडी के खाता संख्या 3/4 में मु.न. 7 के किला नं. 6, 7, 14 ईश्वर दयाल वल्द गनेशीराम जाति ब्राहम्ण के नाम खातेदार अंकित है अर्थात वरवक्त विक्रय भूमि विक्रेता के नाम खातेदारी भूमि थी व खातेदारी भूमि का अन्तरण किया जा सकता है। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने जिस दस्तोवज बैयनामा के आधार पर खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की घोषणा चाही है, वह एक पंजीकृत दस्तावेज है उक्त बैयनामा 52 वर्ष पुराना दस्तावेज है, जिसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उपधारणा की जा सकती है। उक्त दस्तावेज को प्रतिवादीगण द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी जिरह में खुद कहा है कि विवाादित बैयनामा रद्ध करने की कार्यवाही सिविल कोर्ट मे नही है ना ही मैने अमीचन्द पर फौजदारी दावा किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी अधिकारों के अन्तरण बाबत विक्रय द्वारा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अन्तरण का प्रावधान है। प्रतिवादीगण के पिता ईश्वर दयाल द्वारा दिनांक 03.02.1967 में पंजीकृत बैयनामा निष्पादित करके चक 6 बीएचडी के मु.न. 2 के किला नं. 23, 24 एवं मु.न. 7 के किला नं. 3, 4, 7, 8, 14, 15 की कुल 8 बीघा भूमि का अन्तरण वादी को किया गया। इस पंजीकृत बैयनामा को निष्पादित करके व कब्जा का अन्तरण करके प्रतिवादीगण के पिता श्री ईश्वर दयाल ने चक 6 बीएचडी के मु.न. 2 के किला नं 23, 24 व मु.न. 7 के किला नं. 3, 4, 7, 8, 14, 15 कुल 8 बीघा भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों को शुन्य कर लिया है व वादभूमि संबंधी हक हकूक वादी अमीचंद के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये। जमाबंदी में काश्तकार के नाम इन्द्राजात में परिवर्तन इंतकाल द्वारा किया जाता है। इंतकाल एक फिस्कल प्रक्रिया है जिसके द्वारा खातेदारी अधिकारों का सृजन नही होता है न ही इंतकाल प्रक्रिया द्वारा कोई हक अधिकार प्रदान किये जाते है, इसलिये उक्त पंजीकृत बैयनामा द्वारा इंतकाल न खुलने व उसकी बजाय ईश्वर दयाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के नाम विरासतन इंतकाल खुलने से प्रतिवादीगण को वादभूमि में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। जब ईश्वर दयाल ने वादभूमि का विक्रय करके वादभूमि मे अपने खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर लिया तो उनके वारिसान को उक्त अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि जब मूल खातेदार काश्तकार के पास ही खातेदारी अधिकार नही है तो उसके वारिसान के नाम इंतकाल द्वारा दर्ज इन्द्राजात शून्य व प्रभावहीन है।

वादी ने वादभूमि पर कब्जा काश्त जरिये मौखिक साक्ष्य स्वयं व स्वतत्र गवाह विनोद कुमार के द्वारा साबित की है। इसलिये विक्रय पत्र के निष्पादन के समय कब्जा हस्तान्तरण की अवधारणा की जा सकती है। वादभूमि जमाबंदी सम्वत 2039–2042 चक 6 बीएचडी के खाता संख्या 3/4 में मु.न. 7 के किला नं. 6, 7, 14 ईश्वर दयाल वल्द गनेशीराम जाति ब्राहम्ण के नाम खातेदार अंकित है अर्थात वरवक्त विक्रय भूमि विक्रेता के नाम खातेदारी भूमि थी व खातेदारी भूमि का अन्तरण किया जा सकता है। विक्रय पत्र 8 बीघा भूमि का है मगर वादी द्वारा चक 6 बीएचडी के मु.न. 7 के किला नं. 7 व 14 की 2 बीघा खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है, शेष गैरखातेदारी भूमि के लिये वादी द्वारा अलग से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित होना पाया जाता है तथा प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बीएचडी के खाता संख्या 33/26 के मु. न. 7 के किला नं. 7, 14 की कुल 0.506 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी अमीचंद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष इन्द्राजात यथावत रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(राजकुमारी कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 174/2013

अनवान :

1. अमीचंद पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. गोरांदेवी पत्नी ईश्वर दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 14 रामदेवजी मन्दिर के पास भादरा तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ईश्वर दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 14 रामदेवजी मन्दिर के पास, भादरा तहसील भादरा।
3. गायत्री पुत्री ईश्वर दयाल पत्नी ओमप्रकाश तिवाड़ी सेवानिवृत लिपिक, विधुत निगम विभाग श्रीमोधापुर जिला सीकर।
4. सुजाता पुत्री ईश्वर दयाल पत्नी अशोक कुमार तिवाड़ी अध्यापक पुत्र किशोरीलाल तिवाड़ी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. सरोज पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान नं. बी 156ए नोएडा उतर प्रदेश।
6. रोहित पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान नं. बी 156ए नोएडा उतर प्रदेश।
7. रचना पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर 26 मकान नु. बी 156ए नोएडा उतर प्रदेश।
8. सुन्दरी देवी पत्नी बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 4 हाथीपुराबास भादरा।
9. मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 4 हाथीपुराबास भादरा।
10. कर्णकुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 4 हाथीपुराबास भादरा।
11. पूजा पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 4 हाथीपुराबास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,92,92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण गर्ग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री किशनलाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेत प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बीएचडी के खाता संख्या 33/26 के मु. न. 7 के किला नं. 7, 14 की कुल 0.506 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी अमीचंद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष इन्द्राजात यथावत रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक.....7:2:19..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़